

14.02½ hrs.

ii. Status of implementation of recommendations contained in the

146th, 147th, 153rd, 154th, 155th and 159th Reports

of the Standing Committee on Industry.

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा के निदेश पर तथा लोक सभा के दिनांक 1 सितम्बर, 2004 बुलेटिन भाग- II में निहित लोक सभा में प्रक्रिया नियमावली तथा कार्य संचालन के प्रावधानों के अनुसरण में विभाग संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 146^{वीं}, 147^{वीं}, 153^{वीं}, 154^{वीं}, 155^{वीं} तथा 159^{वीं} रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

*लघु उद्योग मंत्रालय से सम्बद्ध उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की "महाराष्ट्र में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता" पर 146^{वीं} रिपोर्ट में 10 सिफारिशों/टिप्पणियाँ मुख्यतः लघु उद्योग क्षेत्र पर वैश्वीकरण/उदारीकरण का प्रभाव तथा क्षेत्र से जुड़ी ऋण संबंधित मुद्दों के बारे में हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की है तथा राज्य सरकारों एवं संबंधित विभागों/अभिकरणों के साथ अनुवर्तन भी कर रहा है। की गई कार्यवाही टिप्पण जिसमें प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है, समिति के सचिवालय को 29.11.2004 को भेज दिया गया है।

'बुलन्दशहर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता' पर 147^{वीं} रिपोर्ट में ग्यारह सिफारिशों/टिप्पणियाँ हैं। ये मुख्यतः लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता संबंधी मुद्दों, बुनियादी संरचना तथा उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर क्षेत्र में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.(एन.एस.आई.सी.) से संबंधित मामलों के बारे में हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की है तथा राज्य सरकार तथा संबंधित विभागों/अभिकरणों के साथ अनुवर्तन भी कर रहा है। की गई कार्यवाही टिप्पण जिसमें प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है, समिति के सचिवालय को 2.2.2005 को भेज दिया गया है।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No.L.T.2732/05.

लघु उद्योग मंत्रालय की अनुदान संबंधी मांगों पर 153^{वीं} रिपोर्ट में 28 सिफारिशों/टिप्पणियाँ हैं। ये 10^{वीं} पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्यों की तुलना में निपादन, मंत्रालय की योजनाओं/नीतियों के कार्यान्वयन, पूर्वोत्तर प्रदेश तथा सिक्किम में परियोजनाओं/योजनाओं संबंधी प्रावधानों, एनएसआईसी संबंधी मामलों, अति लघु/माइक्रो उद्यमों के लिए नीतियों, ऋण संबद्ध मुद्दों, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) करारों का लघु उद्योग क्षेत्र पर प्रभाव, सीमित जिम्मेदारी साझेदारी अधिनियम, उभरते हुए (सन राइज) उद्योगों का संवर्धन, रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास, लघु उद्योग क्षेत्र के अनुरूप कर व्यवस्था, लघु उद्योगों को प्रभावित करने वाला विधिक ढांचा तथा मध्यम उद्यमों के लिए नीतियों के निर्माण के संबंध में हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की है तथा संबंधित विभागों/अभिकरणों के साथ अनुवर्तन भी कर रहा है। की गई कार्यवाही टिप्पण जिसमें प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है, समिति के सचिवालय को 28.3.2005 को भेज दिया गया है।

'दिल्ली, नोएडा तथा गाजियाबाद के क्षेत्रों में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह' पर 154^{वीं} रिपोर्ट में पांच सिफारिशों/टिप्पणियाँ निहित हैं, जो बैंकों द्वारा पेशगी राशियाँ दिए जाने के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों, लघु उद्योग ऋण से संबंधित मामलों तथा लघु उद्योगों के लिए जोखिम पूंजी निधियों एवं प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना के लिए मार्गनिर्देशों से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में कार्यवाही कर दी है। की गई कार्यवाही टिप्पण जिसमें प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है, समिति के सचिवालय को 6.4.2005 को भेज दिया गया है।

'हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता' पर 155^{वीं} रिपोर्ट में सतरह सिफारिशों/टिप्पणियाँ निहित हैं। ये मुख्यतः राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए पैकेज, ऋण एवं कराधान संबंधी मामलों, परिवहन समस्याओं तथा हिमाचल प्रदेश में रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के सर्वेक्षण से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में कार्यवाही कर दी है। की गई कार्यवाही टिप्पण जिसमें प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है, समिति के सचिवालय को 9.5.2005 को भेज दिया गया है।

'लघु उद्योगों द्वारा इस्पात की अधिप्राप्ति में आ रही समस्याओं पर 159^{वीं} रिपोर्ट में सात सिफारिशों/टिप्पणियाँ हैं। ये सिफारिशों/टिप्पणियाँ मुख्यतः उचित मूल्यों पर लघु उद्योग इकाइयों को इस्पात की आपूर्ति, लघु उद्योग क्षेत्र के प्रति विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग एवं सामूहिक दृष्टिकोण, इस्पात कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क के युक्तीकरण आदि से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में कार्यवाही कर दी है। की गई कार्यवाही टिप्पण जिसमें प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है, समिति के सचिवालय को 28.3.2005 को भेज दिया गया है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति में वक्तव्य के अनुबंध I से VI में दर्शाई गई है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं सदन के मूल्यवान् समय को इन अनुबंधों के विषय-वस्तु को पढ़ने के लिए नहीं लेना चाहूँगा। मैं अनुरोध करूँगा कि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

14.03 hrs.